पत्र संख्या – 26 / न0नि0–04–06 / 2022 ....

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

आदेश

श्री रवि कुमार, पिता–श्री हरि मोहन यादव, ग्राम–भीतरी बेगमपुर, पटना सिटी, पिनकोड–800009 द्वारा जल संसाधन विभाग में अनियोजित अभियंता श्रेणी में निबंधन कराया गया, जिसका निबंधन सं0–07 / 2022 तथा वैधता दिनांक–05.05.2022 से दिनांक–04.05.2027 तक है। इनके जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त लघु जल संसाधन विभाग में भी निबंधित होने संबंधी परिवाद प्राप्त हुआ। प्राप्त परिवाद के आलोक में विभागीय पत्रांक–3936 दिनांक–16.09.2022 एवं पत्रांक–2581 दिनांक–24.05.2023 द्वारा लघु जल संसाधन विभाग से प्रतिवेदन हेतु अनुरोध किया गया। लघु जल संसाधन विभाग के पत्रांक–1078 दिनांक–10.11.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हुआ कि श्री रवि कुमार लघु जल संसाधन विभाग के अधीन सामान्य श्रेणी में निबंधित संवेदक हैं।

उक्त के आधार पर विभागीय पत्रांक–2724 दिनांक–05.06.2023, पत्रांक–4587 दिनांक–11.08.2023, पत्रांक–5130 दिनांक–04.10.2023 एवं पत्रांक–5077 दिनांक–24.12.2024 द्वारा श्री रवि कुमार से कारण–पृच्छा किया गया। इसके प्रत्युत्तर में संवेदक से कारण–पृच्छा का जवाब अबतक अप्राप्त है।

विदित हो कि पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–2390 दिनांक–10.04.2015 में स्पष्ट उल्लेख है कि "अनियोजित अभियंता किसी भी कार्य विभाग के एक कार्य अंचल में कार्य ले सकेंगे और वही उसका कार्यक्षेत्र होगा। अतः निबंधन हेतु इच्छुक आवेदक को निबंधन आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वे अनियोजित अभियंता के श्रेणी में अन्य कार्य विभागों में निबंधित नहीं है।" उक्त के आलोक में श्री रवि कुमार से निबंधन आवेदन के साथ–साथ वांछित शपथ पत्र भी प्राप्त किया गया था। साथ ही आवेदन प्रपत्र में अंकित घोषणा में भी अंकित है कि "मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरा नाम ठीकेदार के रूप में विभाग / अन्य कार्य विभाग में अभी किसी वर्ग में संवेदक / फर्म / प्रा0लि0 / कंपनी में साझेदारी के रूप में निबंधित नहीं है।"

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री रवि कुमार, पिता–श्री हरि मोहन यादव, ग्राम–भीतरी बेगमपुर, पटना सिटी, पिनकोड–800009 द्वारा लघु जल संसाधन विभाग में द्वितीय श्रेणी में निबंधन सं0–MWRD1219C2IN1850 के रूप में दिनांक–27.10.2020 को निबंधित होने के बावजुद इस तथ्य को छुपाकर गलत शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र के आधार पर इस विभाग में अनियोजित अभियंता श्रेणी में निबंधन कराया गया।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 में इस प्रकार के कदाचार के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में श्री रवि कुमार, पिता–श्री हरि मोहन यादव, ग्राम–भीतरी बेगमपुर, पटना सिटी, पिनकोड–800009 के कारण–पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहने के कारण जल संसाधन विभाग में इनके अनियोजित अभियंता श्रेणी में निबंधन सं0–07 / 2022 (पत्रांक–1818 दिनांक–06.05.2022) को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

ह0 / –

(मिथिलेश कुमार दिनकर)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

(4)

निबंधित

ज्ञापांक : ....पटना / दिनांक :..

प्रतिलिपि :– श्री रवि कुमार, पिता–श्री हरि मोहन यादव, ग्राम–भीतरी बेगमपुर, पटना सिटी, पिनकोड–800009 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(मिथिलेश कुमार दिनकर)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक :............5150.../पटना, दिनांक :.31.12.24............

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण / कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना / अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल –2,3,4, पटना / निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30.12.24
(मिथिलेश कुमार दिनकर)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–मु0अ0(नि0 एवं0 गु0नि0) कालीसूची–10–07 / 2025-1284 / पटना, दिनांक-07/04/25

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/4/25
(मो0 सुल्तान अहमद)
मुख्य अभियंता, निर्माण एवं
गुणवत्ता नियंत्रण